भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 712

गुरुवार, दिनांक 21 नवम्बर, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन</u>

712. श्री कुलदीप राय शर्माः
डॉ॰ अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरेः
डॉ॰ सुभाष रामराव भामरेः
श्री ए॰के॰पी॰ चिनराजः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी सभा की मेजबानी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सभा में भाग लेने वाले देशों की संख्या कितनी है;

(ग) आईएसए के विभिन्न पहलुओं पर आयोजित की गई समन्वय और परामर्श बैठकों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सौर ऊर्जा के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) वर्ष 2022 तक 100000 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा तथा विद्युत और कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) से (ग): नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 31 अक्तूबर, 2019 को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) की दूसरी सभा का आयोजन किया। इस सभा में 76 देशों के शिष्टमंडल शामिल हुए। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र संघ, बहुपक्षीय विकास बैंक, ग्लोबल फंड्स, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान आदि के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए।

इस सभा में आईएसए के वर्तमान कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा की गई तथा इसके साथ-साथ वर्ष 2020 के लिए कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। इसमें सभा की कार्यप्रणाली की नियमावलियों तथा आईएसए के नियमों एवं विनियमों को स्वीकृति दी गई।

सभा से पूर्व 30 अक्तूबर, 2019 को निम्न समन्वय और विचार-विमर्श बैठकों का आयोजन किया गयाः-

i. आईएसए सदस्य देशों के राष्ट्रीय मुख्य बिन्दुओं के साथ कार्यसूची और बातचीत पर ब्रीफिंग;
ii. प्रशांत द्वीप समूह विकासशील राज्यों और कैरीबियाई समुदाय तथा समान-विपणन देशों के लिए सौर परियोजनाओं हेतु ऋण;
iii. आईएसए कॉर्पोरेट भागीदारों के साथ बातचीत; और
iv. सौर ऊर्जा में निवेश पर एक आईएसए और यूरोपीय संघ का सेमिनार।

(घ) राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत दिसम्बर, 2022 तक 100 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता संस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसकी तुलना में 31 अक्तूबर, 2019 तक 31.7 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता संस्थापित की जा चुकी है। इसके अलावा, एक अतिरिक्त 18 गीगावाट की सौर क्षमता स्थापित करने का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है और 36.2 गीगावाट सौर क्षमता का कार्य बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में है।

(ङ) और (च): सरकार ने देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की शुरुआत की है। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(छ) भारत सरकार द्वारा देश में सौर ऊर्जा के विकास एवं इसकी स्थापना हेतु उठाए जा रहे कदमों के साथ-साथ निम्न कदम भी शामिल हैं:-

i. सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विकास;
ii. वर्ष 2021-22 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए दीर्घकालिक बढ़त ट्रैजेक्ट्री की अधिसूचना;
iii. अक्षय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से के लिए ग्रिड में बढ़ोतरी;
iv. ग्रिड संबद्ध सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से विद्युत खरीद के लिए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लिए दिशानिर्देश जारी करना;
v. 31 दिसम्बर, 2022 तक शुरू किए जाने वाले सौर और पवन परियोजनाओं के लिए अंतर-राज्य पारेषण शुल्कों तथा नुकसान माफ करना;
vi. अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति;

अनुलग्नक

'अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन' के संबंध में पूछे गए दिनांक 21.11.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 712 के भाग (ङ) और (च) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

एमएनआरई की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता

योजना	उपलब्ध केन्द्रीय वित्तीय सहायता	क्षमता/आकार
क) सौर पार्क योजना	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने के लिए 25 लाख रु. प्रति सौर पार्क 20 लाख रु. प्रति मेगावाट या ग्रिड संबद्धता लागत सहित परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो।	---
ख) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) द्वारा ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं	सीपीएसयू/भारत सरकार के संगठनों को उन परियोजनाओं जिनमें देश में उत्पादित सेलों और मॉड्यूलों का उपयोग किया जाता है, के लिए 1.0 करोड़ रु./मेगावाट की निर्धारित दर पर और किए जाने वाले मामलों में देश में उत्पादित मॉड्यूलों का उपयोग 0.50 करोड़ रु./मेगावाट की वीजीएफ सहायता।	योजना का कुल आकार 1000 मेगावाट
ग) रक्षा प्रतिष्ठानों के लिए सौर पीवी परियोजनाएं	17.02.2017 से पूर्व जारी निविदा के लिए वीजीएफ सहायता 2.50 करोड़ रु./मेगवाट है। 17.02.2017 के बाद जारी निविदा के लिए वीजीएफ सहायता 1.1 करोड़ रु./मेगावाट	---
घ) नहर के किनारे और नहर के ऊपर ग्रिड संबद्ध सौर पीवी विद्युत संयंत्र	नहर के किनारे के लिए 1.5 करोड़ रु./मेगावाट और नहर के ऊपर परियोजनाओं के लिए 3.0 करोड़ रु./मेगावाट बशर्ते दोनों ही मामलों में परियोजना लागत के 30 प्रतिशत के अध्यधीन हो।	1 मेगावाट से 10 मेगावाट
ङ) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के चरण-।। के बैच-। के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) से व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण (वीजीएफ) सहायता के साथ कुल 750 मेगावाट की सौर पीवी विद्युत परियोजनाएं।	विद्युत उत्पादकों के लिए रिवर्स बोली (बिडिंग) प्रक्रिया के आधार पर परियोजना लागत के 30 प्रतिशत तक वीजीएफ सहायता अथवा अधिकतम 2.50 करोड़ रु./मेगावाट तक, जो भी कम हो।	न्यूनतम परियोजना क्षमता 10 मेगावाट अधिकतम परियोजना क्षमता 50 मेगावाट
च) सेकी के माध्यम से 2000 मेगावाट ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना के लिए 2000 मेगावाट की वीजीएफ योजना।	ओपन कैटेगरी के लिए 1.00 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की उच्चतम सीमा और बोली के आधार पर डीसीआर श्रेणी के लिए 1.31 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की वीजीएफ सहयोग।	10 मेगावाट से कम की कोई परियोजना नहीं

छ) सेकी के माध्यम से 5000 मेगावाट की ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए वीजीएफ योजना।	ओपन कैटेगरी के लिए 1 करोड़ रु. प्रति मेगावाट की उच्चतम सीमा और डीसीआर श्रेणी में परियोजनाओं के लिए 1.25 करोड़ रु. प्रति मेगावाट का वीजीएफ सहयोग	10 मेगावाट से कम की कोई परियोजना नहीं
ज) आवासीय क्षेत्र में ग्रिड संबद्ध रूफटॉप सौर पीवी विद्युत परियोजना	(i) आवासीय क्षेत्र (अधिकतम 3 किलोवाट क्षमता) : बेंचमार्क लागत का 40 प्रतिशत (ii) आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट क्षमता से अधिक और 10 किलोवाट क्षमता तक) : 3 किलोवाट तक 40 प्रतिशत तथा 3 किलोवाट से अधिक तथा 10 किलोवाट तक की आरटीएस प्रणाली के लिए 20 प्रतिशत सीएफए है। (iii) ग्रुप हाउसिंग सोसायटियों/आवासीय कल्याण समितियों (जीएचएस/आरडब्ल्यूए) आदि की सामान्य सुविधाओं के लिए 500 किलोवाट पीक तक प्रति मकान 10 किलोवाट पीक के हिसाब से, जिसके साथ ऊपरी सीमा में व्यक्तिगत रूफटॉप संयंत्र भी शामिल हैं, जिन्हें उन जीएचएस/आरडब्ल्यूए में व्यक्तिगत निवासियों द्वारा पहले ही संस्थापित किया गया हो, जब आरटीएस की संस्थापना सामूहिक गतिविधियों के लिए की गई हो: सीएफए 20 प्रतिशत है।	वर्ष 2019-20 के लिए 10 किलोवाट क्षमता तक 54 रु. प्रति वाट का बेंचमार्क
छ) प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम)	बेंचमार्क लागत या निविदा लागत, जो भी कम हो, के लिए 30 प्रतिशत की केन्द्रीय वित्तीय सहायता। पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बेंचमार्क लागत अथवा निविदा लागत के 50 प्रतिशत, जो भी कम हो, की केन्द्रीय वित्तीय सहायता।	---

*****